संख्या: 234/2024/786/35-4-2024/35-4099/446/2021

प्रेषक,
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 08 अगस्त, 2024

विषय: जनपद- हरदोई में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक, गोपामाऊ के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में विधान सभा क्षेत्र- गोपामऊ में राजकीय पॉलीटेक्निक, भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई हेतु शासनादेश सं0-19/2020/258/35-4-2020, दिनांक 17.02.2020 द्वारा रू0 1792.68 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि है, तथा जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-8/2021/45/35-4-2021, दिनांक 20 जनवरी,2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 268.90 लाख, शासनादेश सं0-52/2021/769/35-4-2021, दिनांक 23 मार्च,2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 268.90 लाख, शासनादेश सं0-131/2021/1265/35-4-2021, दिनांक 18 अगस्त,2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 965.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार उक्त चार किस्तों द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु कुल रू0 1703.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी ।

जिलाधिकारी हरदोई पत्र सं0-611/त्व0आ0वि0यो0/2019-20/2021-22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा उक्त राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के कार्य में मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुये पुनरीक्षित आगणन शासन को प्रेषित किया गया।

तत्पश्चात शासनादेश सं0-63/2022/175/35-4-2022, दिनांक 25 फरवरी, 2022 द्वारा उक्त प्रश्नगत कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू0 1792.68 लाख में मिट्टी भराई की अनुमोदित लागत रू0 74.46 लाख को सम्मिलित करते हुये कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू0 1867.14 लाख पर पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृत निर्गत की गयी एवं शासनादेश सं0-366/2022/1357/35-4-2022/35-4099/446/2021, दिनांक 04 नवम्बर, 2022 द्वारा स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 1867.14 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 की देय धनराशि रू0 266.52 लाख, कुल लागत धनराशि रू0 2133.67 लाख, की स्वीकृति प्रदान करते हुये जी0एस0टी0 हेतु धनराशि रू0 266.52 लाख अवमुक्त की गई।

तत्क्रम में शासनादेश सं0-643/2023/1550/35-4-2023/001-35-4099/446/2021, दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा पॉचवी किस्त के रूप में रू0 74.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अब तक रू0 2044.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- जिलाधिकारी, हरदोई के पत्रांक-343/त्व0आ0वि0यो0/2019-20-21-22/2023-24,दिनांक 29.05.2023 एवं पत्रांक-1881/त्व0आ0वि0यो0/2019-20-21-22/2023-24,दिनांक 25.11.2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए एवं निविदा लागत रू2074.26 लाख का उल्लेख करते हुए अवशेष धनराशि के सापेक्ष रु0 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए उक्त कार्य हेतु रू0 30.00 लाख (रूपए तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य	**मूल अनुमोदित लागत**	**पुनरीक्षित लागत (जी0एस0टी0 सहित)**	**निविदा लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनरशि**
राजकीय पॉलीटेक्निक, भड़ायल, सदर, गोपामऊ, हरदोई का भवन निर्माण कार्य	1792.68 (+GST नियमानुसार देय)	2133.66	2074.26	2044.26	30.00

1- यदि कार्य में संस्था द्वारा कोई ब्याज अर्जित है तो उक्त विषयक भली भांति पुष्टि करने के उपरान्त ही यदि आवश्यक हो तो धनराशि का आहरण किया जाये। साथ ही इस विषयगत किये गए परीक्षण की आख्या से भी शासन को एक पक्ष में अवश्य अवगत कराया जाए।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक17.02.2020, दिनांक 20 जनवरी,2021 दिनांक 23 मार्च,2021 दिनांक 18 अगस्त,2021 दिनांक 25 फरवरी,2022, दिनांक 04 नवम्बर,2022, एवं दिनांक 29 मई,2023 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उदेश्य से आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्रति किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्रति किया जायेगा।

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्रात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

8- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 040 लेखाशीर्ष- 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा—104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव ।

संख्या:234/2024/786(1)/35-4-2024/35-4099/ 446/2021/ तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्पलेक्स, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई ।
15- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, हरदोई।
16- संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
17- नोडल अधिकारी।
18- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।